निग/2962/II/15 (62)

317
17.8.15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कैम्प रीवा, म0प्र0

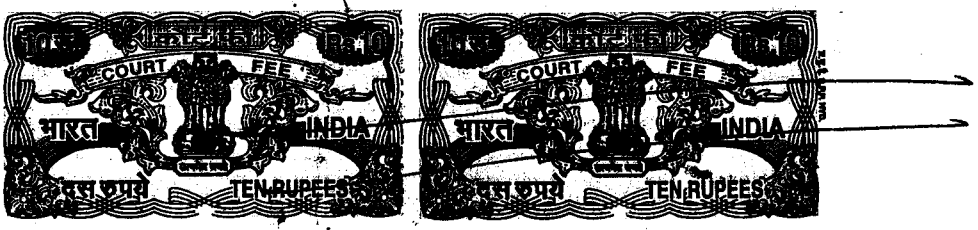

Rs 20/-

रामखेलावन बा. तनय बद्टूलाल बा. साकिन दुरेहा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 - ----- आवेदक

बनाम

श्री ... द्वारा आज दिनांक 17-8-15 प्रस्तुत किया गया

रामपुरी बा. तनय बद्टूलाल बा. साकिन दुरेहा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 (मृतक) वारिसान :-

1- जयन्ती पत्नी स्व. रामपुरी, निवासी ग्राम दुरेहा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0,

2- राजकुमारी पुत्री स्व. रामपुरी, पत्नी पूर्णेन्द्र चतुर्वेदी, साकिन पटना, जिला रीवा, म0प्र0,

3- शीला देवी पुत्री स्व. रामपुरी, पत्नी त्रिवेणी तिवारी, साकिन पडरा, जिला रीवा, म0प्र0,

4- गुड्डा पुत्री स्व. रामपुरी, पत्नी सुरेश तिवारी, साकिन पुरैनी, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0,

5- मुन्नी पुत्री स्व. रामपुरी, पत्नी कृष्ण कुमार मिश्र साकिन चकदही, जिला रीवा, म0प्र0,

6- सविता पुत्री स्व. रामपुरी, पत्नी संतोष कुमार साकिन बढ़इया सज्जनपुर, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0,

7- मनीष पुत्र स्व. रामपुरी साकिन दुरेहा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0

8- कविता पुत्री स्व. रामपुरी, पत्नी भपेन्द्र द्विवेदी, साकिन मगरा, तहसील ...

10- रविता पुत्री स्व. रामपुरी साकिन दुरेह, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 - ---- अनावेदकगण

निगरानी/आवेदन विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 के प्र.क्र. 69/अपील/2011-12, आदेश दिनांक 5.8.15, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

====================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 5.8.15 विधि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि अपीलान्ट स्व. रामपुरी बा. की मृत्यु दिनांक 8.11.13 को हो चुकी थी, तथा उक्त मृतक के वारिशो द्वारा दिनांक 11.2.14 को पक्षकार बनने का आवेदन देने का अवसर प्राप्त किया था, लेकिन आदेश 22 नियम 3 जा.दी. के तहत आवेदन दिनांक 30.9.14 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन मृत्यु दिनांक 8.11.13 के 90 दिन के बाद प्रस्तुत किया गया था, जिससे उक्त विचाराधीन अपील एवैट हो चुकी थी, उक्त कानूनी बिन्दु पर बिना कोई विचार किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के वारिशो को पक्षकार बनाने का बेरूम्याद आवेदन स्वीकार करने मे कानूनी भूल की गई है, जिससे आदेश निरस्तगी योग्य है ।

3:- यह कि मृतक अपीलान्ट के वारिसो द्वारा मृत्यु दिनांक 8.11.13 के 10 माह 22 दिन बाद पक्षकार बनने का आवेदन दिया गया है, जिसमे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत कोई आवेदन देरी क्षमा हेतु नही दिया गया, तथा विचाराधीन अपील का उपशमन हो चुका था, जिसके निरस्तगी हेतु भी साथ मे कोई आवेदन नही दिया गया, इस तरह अपील का उपशमन हो जाने के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2962–II/15 जिला–सतना

रामखेलावन/रामपुरी मृत्त जयन्ती

(1)	(2)	(3)
22.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	